

प्रेस नोट

थाना बरुआसागर, जनपद झाँसी

दिनांक: 01.08.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. के अभियोग से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा एन.बी.डब्ल्यू. केस नं0- 3028/12 मु0अ0सं0- 122/2007 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अभियोग से संबंधित वारण्टी अभियुक्त- राकेश उर्फ रक्कू पुत्र छोटे लाल विश्वकर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी मिलान करबा थाना बरुआसागर जनपद झाँसी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभि0 का विवरण-

राकेश उर्फ रक्कू पुत्र छोटे लाल विश्वकर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी मिलान करबा थाना बरुआसागर जनपद झाँसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 विशेषपाल सिंह
2. का0 सुखवीर सिंह